Witness No.-------02------for---------अनावेदक साक्ष्य--------Deposition taken the ----07.08.2026---day of---शुक्रवार----Witness's apparent age----- 35 वर्ष--- States on affirmation----शपथपूर्वक---my name is मंजूला सिंह W/of मुकेश कुमार सिंह occupation सहायक विधि अधिकारी Adress मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पचपेडी नाका रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०)

समय 05.16 बजे से अना**वेदक साक्षी क्रमांक-02**

साक्षी आज दिनांक 07.06.2026 को न्यायालय रायपुर के विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित है, जिसे शपथ दिलाकर दस्तावेज परीक्षण प्रारंभ किया गया।

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री आर०एन० राठौर अधिवक्ता वास्ते अनावेदक

01. मै मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पचपेडी नाका रायपुर, जिला रायपुर में अक्टूबर 2024 से सहायक विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं ।

02. हमारी कंपनी द्वारा श्याम कुमार साहू के स्वत्व की बोलेरो पीकप क्र० सी०जी० 13 व्ही 6772 का बीमा दिनांक 09.10.2021 से 08.10.2022 तक कमर्सियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी के अंदर की गई थी । मै आज अपने साथ उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति लेकर उपस्थित हुई हूं, जो प्रदर्श डी 02 है । बीमाकृत वाहन मालवाहक यान है । उक्त वाहन का ग्रास व्हीकल वेट (सकल यान भार) 3225 किलोग्राम है । उक्त वाहन के चालन हेतु वैध एवं प्रभावी परमिट होना अनिवार्य है ।

03. बीमा पॉलिसी में उक्त शर्त का उल्लेख है जो अ से अ भाग पर है । दुर्घटना के समय उक्त वाहन का उपयोग बिना वैध एवं प्रभावी परमिट के किया जा रहा था जो हमारे द्वारा जारी बीमा पॉलिसी एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस कारण प्रकरण में हमारी कंपनी क्षतिपूर्ति हेतु दायित्वाधीन नही है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रवि शुक्ला अधिवक्ता वास्ते आवेदक

04. यह कहना सही है कि दुर्घटना दिनांक को बीमा हमारे द्वारा जारी बीमा पॉलिसी वैध

एवं प्रभावी थी । स्वतः कथन है कि बीमा पॉलिसी नियम एवं शर्तो के अधीन जारी की गई थी । यह कहना गलत है कि उक्त वाहन के संबंध में परमिट दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी थी । यह कहना गलत है कि बीमा पॉलिसी में परमिट संबंधी शर्त का कोई उल्लेख नही है। यह कहना गलत है कि मै बीमा कंपनी के अधिकारी होने के कारण अपनी कंपनी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से बचाने के लिये झूठा कथन कर रही हूं ।

अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 पूर्व से एकपक्षीय

05. कुछ नहीं ।

समयः-05:30 बजे तक ।

वाचित, सत्य, स्वीकृत ।

सही/-

(डॉ० ममता भोजवानी)
द्वितीय अपर मो०दु०दा०अधि०
कोरबा, जिला कोरबा (छ०ग०)

मेरे निर्देशन में टंकित ।

सही/-

(डॉ० ममता भोजवानी)
द्वितीय अपर मो०दु०दा०अधि०
कोरबा, जिला कोरबा (छ०ग०)

MAMTA BHOJWANI

Digitally signed by MAMTA BHOJWANI